पत्र सं0-विधि/ मास्टर रजिस्टर /2016-2017/ 620 / 1617014 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य करए उ0प्र0
(विधि अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: जून 10 ,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया विधि अनुभाग के परिपत्र सं0 1516041 दिंनाक 29-09-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से सूचनायें प्राप्त करने तथा इनका मिलान वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों से करने के पश्चात अपंजीकृत पाये गये व्यापारियों का रिकार्ड खंड वार मास्टर रजिस्टर में रखे जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रेषित किये गये थे। विभागीय टैक्सवेस में वृद्धि के सम्बन्ध मं मास्टर रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया को Online करने का निर्णय लिया गया है जिससे पंजीयन की प्रक्रिया को प्रभावी स्वरुप प्रदान किया जा सके। उक्त सन्दर्भ में Online Master Register की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

1. Vyas Central में Login करने के पश्चात सबसे पहले Registration tab में Master register के अन्दर " **Entry LInk** " पर क्लिक किया जायेगा।

2. ऐसे अपंजीकृत व्यापारी जिनका पंजीयन किया जाना है उनके फर्म का नाम, PAN, Stake Holder का नाम व पता यदि फर्म किसी और विभाग में पंजीकृत हो तो सम्बन्धित विभाग का नाम तथा टर्न ओवर फार्म पर भरकर Save. करना होगा।

3. Save करने के पश्चात डीलर का विवरण Grid में दिखाई देने लगेगा। विवरण गलत अंकित होने की दशा में Grid में दिये गये Delete button से डीलर के विवरण को Delete किया जा सकता है।

4. डीलर को टिन जारी करने के पश्चात टिन अपडेशन के लिए Vyas Central में Registration tab के अन्दर **Disposal** पर Click करें। इसके पश्चात Radio buttoon " **Update Dealers after TIN granted** " पर click करना होगा। जिस डीलर का टिन अपडेट करना हो उसकी Row में " **Insert TIN**" Option पर Click करने पर टिन नं0 तथा " **Efforts for Registration** " की Field भर कर अपडेट किया जा सकता है।

5. Radio button " Dealer with TIN updated " द्वारा डीलर्स जिनका टिन अपडेट हो चुका है उनका विवरण देखा जा सकता है।

उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

10/06/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।